न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– मुन्नु मुक्ता कुमारी ।

बनाम

वाद सं0 21/2021

द्वितीय पक्ष– दिगम्बर साहु बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 24/3/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 06/2021 दिनांक 25/03/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) मुन्नु मुक्ता कुमारी उम्र 40 वर्ष पिता स्व0 रामबानेश्वर साहु सा0 पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) दिगम्बर साहु उर्फ दिगु उम्र 45 वर्ष (2) राजेन्द्र साहु उम्र 50 वर्ष दोनो पिता बेचु साहु सा0 हरिजन मोहल्ला पालकोट (3) विजय साहु उम्र 35 वर्ष पिता बालकिशुन साहु सा0 पालकोट बस्ती सभी थाना पालकोट जिला गुमला के बीच के बीच मौजा पालकोट दुर्गा मंदिर के पास पीपल पेड़ खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 रकबा 0.03 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा मकान निर्माण को लेकर द्वितीय पक्ष के द्वारा आपत्ति करने को लेकर दोनो पक्षो के बीच तनाव एवं विवाद को लेकर अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– **प्रथम पक्ष** अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उक्त वादग्त भूमि के संबंध में जवाब दाखिल करते है कि प्रस्तुत वाद मुन्ना मुक्ता कुमार द्वारा द्वितीय पक्ष दिगम्बर साहु व अन्य 2 के विरूद्ध जमीन अन्तर्गत मौजा पालकोट खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 रकबा 0.03 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष के मकान बनाने पर द्वितीय पक्ष से विवाद को लेकर लाया गया है। प्रथम पक्ष अपने खरीदगी जमीन पर मकान निर्माण कर रहे है जिसे द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष को मकान निर्माण करने पर बाधा डाल रहे है। प्रश्नगत् जमीन प्रथम पक्ष मुन्नु मुक्ता कुमार की खरीदगी जमीन है जिसे प्रथम पक्ष रजिस्ट्री पट्टा सं0 526 दिनांक 27/02/2007 को कृष्णा मोहन साहु व जगदीश साहु दोनो पिता स्व0 महेन्द्र साहु से खरीदी है और तब से प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार व काबिज है। प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर दखल प्राप्त कर उक्त जमीन का नामान्तरण दाखिल खारिज कराकर सन् 2008 से आजतक सरकार को लगान अदा कर रही है। शुद्धि पत्र एवं सरकारी रसीद की छाया प्रति इस जवाब के साथ संलग्न है। प्रथम पक्ष ऑनलाईन रसीद भी कटा रही है जो भोलुम सं0 08 पेज सं0 1546 पर दर्ज है। प्रथम पक्ष प्रश्नगत जमीन 0.20 ए0 में से 0.03 एकड़ जमीन कृष्णा मोहन साहु और जगदीश साहु से ली है। पूर्व में भी 0.20 एकड़ जमीन पर द्वितीय पक्ष दिगम्बर साहु और राजेश्वर साहु दोनो के पिता देवसागर साहु उर्फ बेचु साहु ने एम 380/2012 अन्तर्गत धारा 144 दं0प्र0सं0 के तहत श्यामसुंदर साहु अन्य 4 के विरूद्ध वाद दायर किये थे। जिसमें मुन्नु कुक्ता कुमार प्रथम पक्ष उक्त वाद में द्वितीय पक्ष सं0 04 थी उक्त वाद में द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया गया था। जिसकी 144 द0प्र0सं0 का आवेदन एवं आदेश की छाया प्रति इस जवाब के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष के सदस्य दिगम्बर साहु व राजेन्द्र साहु दोनो के पिता देवसागर साहु उर्फ बेचु साहु ने उपरोक्त जमीन को लेकर ओरिजनल सुट सं0 08/2013 दायर किया था जिसमें द्वितीय पक्ष के पिता देवसागर साहु ने आर्डर 39 रूल 1 एवं	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

2 के अधीन इजेक्सन फाईल किया था वह ईजक्सन पिटीशन दिनांक 06/11/2017 को माननीय न्यायालय सब जज 1 गुमला के द्वारा खारीज कर दिया गया । जिसकी आदेश की छाया प्रति संलग्न। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्याबल में अधिक है और बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष को मकान निर्माण करने मे बाधा पहुँचा रहे है और प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पना चाहते है। प्रथम पक्ष एक विकलांग महिला है जिसके कारण द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष को कभी भी क्षति पहुँचा सकते है और शांति भंग कर सकते है। द्वितीय पक्ष के सदस्य कभी भी किसी समय शांति भंग कर सकते है अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यों को बाउण्ड डाउन किया जाय और प्रथम पक्ष के सदस्य को मुक्त किया जाय।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातः—

1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
3 लगान रसिद की छाया प्रति।
4 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गुमला के न्यायालय में वर्ष 2012 में दायर धारा 144 का आदेश की प्रति।
5 न्यायालय सब जज 1 गुमला में दायर ईजक्स पिटीशन का आदेश की प्रति।

द्वितीय पक्ष कि ओर विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त वादगत भूमि के संबंध में जवाब दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा यह केश खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 के संबंधित वाद है लेकिन द्वितीय पक्ष के पिता देवसागर साहु के द्वारा सब जज सीनियर डिवीजन 1 गुमला के अदालत में प्रथम पक्ष को पक्षकार सं0 7 बनाकर टी0एस0 सं0 8/2013 इसी जमीन के लिए किया गया है। जो अभी तक उक्त न्यायालय में लंबित है। जिसमें प्रथम पक्ष के सातवां पक्षकार मुन्नु मुक्ता कुमारी भी अपना जवाब दी है। खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 रकबा 5.71 जमीन ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला का जमीन जमींदार धर्मजय लाल साहु के द्वारा कुल रकबा 5.71 एकड में से 4.60 एकड़ जमीन सादा हुकुमनामा दिनांक 04/02/1949 से घुरन साहु द्वितीय पक्ष के दादा को लिख दिया था तथा इस जमीन में दखलकार घुरन साहु बराबर रहे और जमींदारी रसीद कटाते रहे। वर्ष 1956 में जमीनदारी उन्मुलन होने के बाद सरकार के द्वारा घुरन साहु को उक्त जमीन का रैयत माना गया तथा घुरन साहु के नाम से भी सरकारी मालगुजारी रसीद लगातार कटता रहा तथा वे इस जमीन पर आजीवन दखलकार रहे फिर घुरन साहु के द्वारा अपने बेटा दवसागर साहु को दिनांक 05/01/1978 को रजिस्ट्री डीड ऑफ गिफ्ट कर उपरोक्त जमीन को दे दिया गया। बिना किसी अधिकार का कृष्ण मोहन साहु और जगदीश साहु के द्वारा दिनांक 27/02/2007 को बिक्री पट्टा सं0 526/2007 से प्रथम पक्ष के मुन्नु मुक्ता कुमारी को लिख दिया जबकि उन दोनो का पूरा जमीन में दखल कब्जा भी एक दिन के लिए भी नहीं था। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य कानुन को मानने वाले व्यक्ति है यही कारण है कि सब जज 1 गुमला के अदालत में प्रथम पक्ष को भी पक्षकार बनाकर टी0एस0नं0 8/2013 केश किए है जो अभी भी वह केष चल रहा है जिसमें मुन्नु मुक्ता कुमारी भी उपस्थित होती है । द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य आपस में सहोदर भाई तथा चचेरा भाई है। द्वितीय पक्ष के पिता देवसागर साहु के द्वारा झारखण्ड हाई कोर्ट रॉची में एक केश डब्लू पी सी0नं0 2384 ऑफ 2017 किया गया था जिसमें खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 रकबा 4.60 एकड़ जमीन का रसीद काटने के लिए झारखण्ड सरकार को देवसागर साहु के नाम से आदेश हुआ तथा देवसागर साहु के नाम से रसीद कट रहा है और झारखण्ड हाई कोर्ट के द्वारा द्वितीय पक्ष के ही इसी खाता प्लॉट का जमीन रकबा 4.60 एकड़ जमीन का डिग्री दिया गया है। द्वितीय पक्ष के विरूद्ध यह वाद चलने योग्य नहीं है कारण कि द्वितीय पक्ष का यह जीन है तथा टा0सु0सं0 08/2013 गुमला सिविल कोर्ट में चल रहा है यही सबुत है कि द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य कानुन को मानने वाले व्यक्ति है तथा प्रथम पक्ष जमीन के लालच में षडयंत्र रच कर झुठा मुकदमा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध किया है। जो कि न तो मान्य है और न न्याय संगत है

अतः अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के उपर से यह वाद को खारीज करते हुए प्रथम पक्ष को जमीन में जाने से रोका जाय और प्रथम पक्ष को दण्डित करने की कृपा की जाय।
द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजताः–
1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2 टाईटल सुट सं0 08/2013 की प्रति।
3 झा0 उच्च न्यायालय डब्लु पी0 सी0 सं0 2384/2007 की प्रति।
4 शुद्धि पत्र नामे देवसागर साहु की प्रति।
5 ऑलाईन लगान रसिद की प्रति।

निष्कर्षः–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उक्त वाद के संबंध में दाखिल जवाब, भूमि का कागजात, बहस एवं पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा पालकोट के खाता सं0 297 प्लॉट सं0 4206 रकबा 0.03 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त वादगत भूमि को प्रथम पक्ष मुन्नु कुमारी द्वारा रजिस्ट्री पट्टा सं0 526 दिनांक 27/02/2007 से क्रय किया गया है। जिसका शुद्धि पत्र निर्गत है तथा लगान दिया जा रहा है। वादगत भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा मकान निर्माण को लेकर द्वितीय पक्ष के सदस्यों के साथ विवाद है। द्वितीय पक्ष द्वारा वादगत भूमि पर टाईटल सूट सं0 08/2013 लाया गया जिसमे उनके द्वारा Injunction Petition लाया गया जिसे माननीय न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन 1 गुमला द्वारा खारिज किया गया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से भी कोई Injunction आदेश निर्गत नहीं हुआ है।

अतः उक्त वाद में शांति कायम रखने हेतु एक साल तक शांति कायम रखने हेतु द्वितीय पक्ष को बंध पत्र या 5,000/–(पॉच हजार)रू0 एवं उतनी ही राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित ।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

ज्ञापांकः– 792(ii) दिनांकः– 11/10/21

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी पालकोट के अप्राथमिकी सं0 06/2021 दिनांक 25/03/2021 के आलोक में उक्त वाद में आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 13:33:14 +05:30
Location: 192.168.1.2